प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी
प्रतिभूति रसीदों का निवल मूल्य घोषित करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, (सरफायसी) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति रसीदें जारी करना

1. सरफायसी अधिनियम की धारा 7(1) तथा (2) में यह प्रावधान है कि उसकी धारा 5 की उपधारा(1) के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों के अर्जन के बाद प्रतिभूति रसीदें(SR) अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं(QIB) को जारी की जा सकती हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए योजनाएं बनाकर अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं से निधियाँ जुटायी जा सकती हैं। सरफायसी अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रतिभूति रसीदें बेचने या उपधारा (2) के अंतर्गत निधियाँ जुटाने के लिए योजना का स्वरूप ट्रस्ट का हो सकता है जिसका प्रबंधन प्रतिभूतिकरण या पुनर्संरचना कंपनी करे।
   I. ट्रस्ट प्रतिभूति रसीदें केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को जारी करेंगे; तथा अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के लाभ के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को धारित(होल्ड) एवं प्रबंधित करेंगे;
   II. ऐसे न्यास (ट्रस्ट) के न्यासी (ट्रस्टीसिप) का भार प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी में निहित होगा;
   III. प्रतिभूति रसीदें जारी करने की इच्छुक प्रतिभूतिकरण या पुनर्संरचना कंपनी उन्हें जारी करने से पूर्व ट्रस्ट द्वारा बनायी गई प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के संबंध में बनायी गई नीति के लिए निदेशक बोर्ड का विधिवत अनुमोदन लेगी;
   IV. उल्लिखित पैराग्राफ (iii) में वर्णित नीति में यह प्रावधान होगा कि जारी प्रतिभूति रसीदें अन्य अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पक्ष में ही अंतरणीय/समनुदेशनीय होंगी।

   (सरफायसी अधिनियम की धारा 2(1)(यू) के अंतर्गत अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं की परिभाषा दी गई है)।

प्रतिभूति रसीदों के विशेष गुण/लक्षण

2. प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें प्रमुखत: अनर्जक/क्षतिग्रस्त (impaired) परिसंपत्तियों पर आधारित होती हैं। सामान्य परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण द्वारा जारी अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की तुलना में इन प्रतिभूति रसीदों में अलग तरह के निम्नलिखित गुण/लक्षण होते हैं।

   a. इस प्रतिभूति को पक्के तौर पर ऋण लिखत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें ईक्विटी एवं ऋण दोनों के गुण होते हैं। तथापि, इन्हें प्रतिभूति संवदिा (विनियमन) अधिनियम,1956 के अंतर्गत प्रतिभूति माना जाता है।

b. अंतर्भूत परिसंपत्तियों से नकदी आवक/प्रवाह की भविष्यवाणी, उनके मूल्य एवं अंतराल के अनुसार, नहीं की जा सकती है।

c. प्रतिभूति रसीदों में निवेश केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं तक सीमित रहता है।

d. इन लिखतों की रेटिंग सामान्यत: निवेश ग्रेड से नीचे होती है। आमतौर पर ये लिखत निजी रूप से रखे जाते (privately placed) हैं और संप्रति सूचीबद्ध नहीं होते हैं।

e. प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी किसी योजना की कुल प्रतिभूति रसीदों के मूल्य के 75% के प्रतिभूतिधारक, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली न हो पाने की दशा में, संबंधित योजना के सभी प्रतिभूति धारकों की बैठक बुला सकते हैं और उस बैठक में पास कोई भी प्रस्ताव प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा।

मार्गर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य

3. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को जारी करने का उद्देश्य यह है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, (सरफायसी) 2002 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियॉं/पुनर्संरचना कंपनियॉं अपने द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का निवल मूल्य घोषित कर सकें ताकि अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता इनमें किए गए अपने निवेशों का, लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, मूल्यांकन कर सकें। निवल परिसंपत्ति मूल्य निकालने के लिए प्रतिभूति रसीदों की रेटिंग की जाए क्योंकि रेटिंग एक निष्पक्ष साधन(टूल) है।

क्रेडि रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग

4. सेबी के पास पंजीकृत रेटिंग ऐजेंसियों से प्रारंभ में रेटिंग ली जाए। प्रतिभूतिकरण कंपनियॉं / पुनर्संरचना कंपनियॉं रेटिंग एजेंसियों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं। यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी और रेटिंग एजेंसी में कोई साम्य या संघर्ष हो तो उसे प्रकट किया जाए।

रेटिंग/ग्रेडिंग

5. (a) जहॉं सामान्य परिसंपत्तियों के मामले में रेटिंग देने में मुख्य कारक चूक(डिफाल्ट) होती है, वहीं इस मामले में रेटिंग/ग्रेडिंग का आधार चूक के बजाय वसूली जोखिम होना चाहिए अर्थात रेटिंग देने का आधार समय से वसूली होने के बजाय कितनी राशि वसूल की जा सकती है, को बनाया जाए। रेटिंग से भावी नकदी प्रवाह की प्रत्याशित वसूली के संदर्भ में मौजूदा मूल्य का अनुमान लगना चाहिए।

b) रेटिंग नए रेटिंग मानक पर आधारित होनी चाहिए जिसे एतदर्थ विकसित किया गया है और जिसे "वसूली रेटिंग मानक" कहा जाता है। वसूली मानक में प्रत्येक रेटिंग श्रेणी के अंतर्गत वसूली को दर्शानेवाली सहायक रेंज/दायरा होगा, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा, जिसका प्रयोग प्रतिभूति रसीदों का निवल मूल्य निकालने के लिए किया जाएगा। रेटिंग एजेंसियों द्वारा वसूली की सहायक रेंज के लिए प्रतीक चिह्न दिए जाएं जिनमें आपस में 10% (+/-) प्रतिशत विन्दु से अधिक प्रचलन/डिविएशन नहीं होगा। रेटिंग संकेतक के रूप में होगी।

c) अन्य संबंधित दायित्वों को ध्यान में रखते हुए वसूली रेटिंग निश्चित की जाए न कि मूल ऋण दायित्व के अनुसार।

d) वसूली संबंधी रेटिंग देते समय जिन अन्य महत्त्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, वे हैं - अर्जित ऋण राशि (की सीमा), उधार देने वालों के घटक, उपलब्ध संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति और ऋण की अवधि(seniority of debt), एकल उधारदाता बनाम संस्थागत उधार दाता, अनुमानित नकदी प्रवाह, प्रारंभिक अवधि में प्रत्याशित नकदी प्रवाह को वसूलने में अनिश्चय, प्रबंधन, कारोबारी जोखिम, वित्तीय जोखिम, आदि।

e) समय-समय पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी की समाधान-रणनीति (resolution strategy) में होने वाले परिवर्तन की झलक वसूली रेटिंग में होनी चाहिए।

f) प्रतिभूति रसीदों की परिपक्वता तक अंतर्भूत क्षतिग्रस्त(इंपेयर्ड) परिसंपत्तियों से होनेवाले नकदी प्रवाह-घटक को वसूली रेटिंग निश्चित करते समय ध्यान में रखा जाए।

g) वसूली रेटिंग में न केवल योजना की समस्त प्रतिभूति रसीदें थोक में शामिल होंगी बल्कि जहाँ संभव हो योजना के प्रत्येक घटक का अभेदी स्वरूप भी अर्थात योजना में शामिल प्रत्येक संस्था की अंतर्भूत परिसंपत्तियों, जिनके समेकन से बास्केट बनी है, को भी रेटिंग दी जाए।

h) अनुरोध करने पर रेटिंग ऐजेंसी रेटिंग देने के तर्कसंगत होने के कारणों का खुलासा करे।

निवल परिसंत्ति मूल्य के घोषित करने के लिए प्रतिभूति रसीदों के मूल्यन की प्रणाली

5. वसूली मानक में प्रत्येक रेटिंग वर्ग के लिए एक सहायक वसूली रेंज होगी जिसे प्रतिशत में दिया जाएगा, जो प्रतिभूति रसीदों के निवल मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त होगी। निवल परिसंपत्ति मूल्य वसूली रेंज के अंतर्गत सीमित होगा जो प्रतिभूति रसीदों को दी गई रेटिंग से संबद्ध होगी। अपने वसूली आधारित अनुभव के आधार पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी रेटिंग एजेंसी द्वारा उल्लिखित रेंज में विशिष्ट प्रतिशत का चुनाव कर सकती है। प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा चुने गए वसूली रेटिंग प्रतिशत को प्रतिभूति रसीद के अंकित मूल्य से गुणा करने पर निवल परिसंपत्ति मूल्य निकल

आएगा। प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी अपने द्वारा चुनी गई वसूली रेटिंग की तार्किकता को अंकित करे/बतलाए। उदाहरण के लिए यदि रेंज 81% से 90% के बीच है और प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी अपने विवेक के आधार पर 87% का चयन करती है तो अंकित मूल्य यदि 10 रुपए हो तो उसे वसूली प्रतिशत अर्थात 87% से गुणा करने पर निवल परिसंपत्ति मूल्य 8.70 रुपए होगा।

रेटिंग की बारंबारता/समयावधि

6. प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा परिसंत्ति के अर्जन या समाधान-रणनीति को अंतिम रूप देने में से जो भी पहले हो से एक वर्ष के अंदर प्रारंभिक रेटिंग/ग्रेडिंग दी जाएगी। उसके बाद हर अर्द्ध वर्ष के अंतराल पर अर्थात 30 जून और 31 दिसंबर को रेटिंग/ग्रेडिंग की समीक्षा की जाएगी। तथापि, समीक्षा लगातार जारी रहेगी ताकि प्रतिभूति रसीदों के मूल्य में होने वाली गिरावट की तत्काल घोषणा निवेशकों की जानकारी के लिए की जा सके और उनके मूल्यन में आवश्यक समायोजन किए जा सकें। अर्ध्दवार्षिक समीक्षा से दो माह के अंदर अर्थात क्रमश: 31 अगस्त और 28 फरवरी के अंदर प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा निवल परिसंत्ति मूल्य की घोषणा की जाए।

निवेशकों के लिए प्रकटीकरण/खुलासा

7. प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ और पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रकटीकरण मानदण्डों के अनुसार प्रतिभूति रसीदों के संबंध में अंतर्भूत परिसंपत्तियों की गुणवत्ता के बारे में निवेशकों के हित में खुलासे करना आवश्यक है। इसके अलावा निवेशक प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों से किसी भी समय सूचना देने और प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।